भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 1224

उत्तर देने की तारीख : 03.12.2024

भिन्न रूप से सशक्त व्यक्तियों को सहायक उपकरण

1224. श्री मनोज तिवारी:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार भिन्न रूप से सशक्त व्यक्तियों को कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण वितरित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) से (ग) : विभाग विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों अर्थात् राष्ट्रीय संस्थानों/समेकित क्षेत्रीय केन्द्रों/भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को)/जिला दिव्यांगजन पुनर्वास केन्द्रों / दिव्यांगताओं के क्षेत्र में कार्य कर रहे राज्य विकास निगमों/अन्य स्थानीय निकायों/गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के माध्यम से पूरे देश में 'सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता की योजना' (एडिप योजना) का कार्यान्वयन कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत, दिव्यांगजनों के शारीरिक, सामाजिक और मानसिक पुनर्वास को बढ़ावा देने के लिए, उन्हें कृत्रिम अंगों सहित टिकाऊ, आधुनिक और वैज्ञानिक रूप से विनिर्मित सहायक यंत्र और सहायक उपकरण प्रदान किए जाते हैं, जिससे उनकी दिव्यांगता के प्रभाव में कमी आती है तथा उनकी शैक्षिक और आर्थिक क्षमता में वृद्धि होती है। विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को इस योजना के उद्देश्यों के अनुरूप कृत्रिम अंगों सहित मानक यंत्रों और उपकरणों की खरीद, निर्माण और वितरण के लिए निधियां जारी की जाती हैं । कार्यान्वयन एजेंसियां इस योजना के अंतर्गत वितरित कृत्रिम अंगों सहित सहायक यंत्रों और सहायक उपकरणों की फिटिंग और फिटिंग के बाद की देखभाल का ध्यान रखती हैं / समुचित व्यवस्था करती हैं। पिछले 03 वर्षों के दौरान सहायक यंत्र और उपकरण प्राप्त लाभार्थियों की संख्या का, दिल्ली सहित राज्य-वार, ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

दिनांक 03.12.2024 को उत्तररार्थ 'भिन्न रूप से सशक्त व्यक्तियों को सहायक उपकरण" के संबंध में लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1224 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

पिछले तीन वर्षों के दौरान एडिप योजना के अंतर्गत कवर किए गए लाभार्थियों की राज्यवार संख्या

		2021-22	**2022-23**	**2023-24**
क्र.सं.	**राज्य / संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	**लाभार्थियों की संख्या**	**लाभार्थियों की संख्या**	**लाभार्थियों की संख्या**
1	आंध्र प्रदेश	10256	7681	17558
2	अंडमान और निकोबार	145	154	1
3	अरुणाचल प्रदेश	300	0	40
4	असम	4900	11572	17350
5	बिहार	5950	13136	23978
6	चंडीगढ़	128	422	163
7	छत्तीसगढ	891	1768	320
8	दादरा एवं नगर हवेली	86	233	49
9	दमन और दीव	0	0	0
10	**दिल्ली**	**4214**	**2120**	**3286**
11	गोवा	24	0	418
12	गुजरात	15250	5032	18649
13	हरियाणा	4072	5937	5913
14	हिमाचल प्रदेश	1272	1924	1808
15	जम्मू और कश्मीर	4129	6878	6817
16	झारखंड	5197	11273	7850
17	कर्नाटक	4829	5622	15752
18	केरल	2442	2912	6766
19	लद्दाख	0	59	355
20	लक्षद्वीप	0	0	15
21	मध्य प्रदेश	25101	19929	33542
22	महाराष्ट्र	30070	10836	55017
23	मणिपुर	594	581	259
24	मेघालय	212	2295	42
25	मिजोरम	67	1	297
26	नागालैंड	496	380	48
27	ओडिशा	12055	10164	11138
28	पुदुचेरी	612	0	302
29	पंजाब	14815	8006	11259
30	राजस्थान	7488	10132	19869
31	सिक्किम	4	67	61
32	तमिलनाडु	21746	11327	12622
33	तेलंगाना	5982	2321	11387
34	त्रिपुरा	878	4203	1142
35	उत्तर प्रदेश	33697	35149	50045
36	उत्तराखंड	5854	4244	2510
37	पश्चिम बंगाल	5159	24234	10424
	कुल	**228915**	**220592**	**347052**

****